समीक्षा बैठक. जल्द आयेगी ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी : नितिन नवीन

राज्य के 3500 से अधिक छोटे बड़े पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड

जल्द कैबिनेट भेजने के लिए दिया गया निर्देश

संवाददाता, पटना

राज्य के 3500 से अधिक छोटे-बड़े पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा. साथ ही बहुत जल्द ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी लागू होगी. इस पॉलिसी की मदद से पुलों की जीवन अवधि में भी बढ़ोतरी होगी. साथ ही जनता को भी सुगम यात्रा करने में सहूलियत होगी. यह जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 की बैठक के बाद दी है.

उनकी अध्यक्षता में बैठक के दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर सिंह, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष शीर्षत कपिल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी को लेकर बैठक करते पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन.

हर माह पुलों की रियल टाइम मॉनीटरिंग होगी

बैठक के दौरान मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पुलों के रखरखाव की नीति अपने अंतिम चरण में है. नयी पॉलिसी से संबंधित शेष कार्यों को जल्द पूरा करते हुए इसे जल्द कैबिनेट में भेजने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत हर महीने पुलों की रियल टाइम मॉनीटरिंग की योजना प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि पुलों का हेल्थ कार्ड बनने से उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी. इस कार्ड के जरिये पुलों पर होने वाले गड्ढे, जलजमाव व क्रैक समेत सभी त्रुटियों का समय पर पता लगाकर इंजीनियरों को इनकी मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी. पॉलिसी की मंजूरी के बाद विभागीय इंजीनियरों की ट्रेनिंग होगी. इस पॉलिसी को बनाने में आइआइटी दिल्ली, आइआइटी रूरकी, आइआइटी मद्रास और आइआइटी पटना से भी मदद ले रहे हैं.

पुलों का हो रहा स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट

पथ निर्माण विभाग की सड़कों में बने पुलों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हो रहा है. इसकी जिम्मेदारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को दी गयी है. इसमें गड़बड़ी की पहचान कर मरम्मत होगी. साथ ही इन सभी पुलों का रखरखाव नियमित रूप से मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत कराया जायेगा. पहले चरण में 250 मीटर से अधिक लंबाई के 85 पुलों की थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट आइआइटी पटना और आइआइटी दिल्ली द्वारा नामांकन के आधार पर होगा. इसके अंतर्गत ब्रिज डाटा संग्रह, विजुअल इन्सपेक्शन, सेंसर और ड्रोन कैमरा जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा. पुलों के महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान कर एनडीटी परीक्षण और पुलों पर भार परीक्षण किया जायेगा. रेट्रोफिटिंग और रिहेबिलिटेशन का कार्य अन्य संवेदक के माध्यम से कराया जायेगा.